NH-17

समतामूलक विकास और वित्तीय समावेशन

● डॉ. सदा बिहारी साहु
मुम्बई कार्यालय

प्रस्तावना

जी-20, विश्व वैंक तथा संयुक्त राष्ट्र ने वित्तीय समावेशन को वैश्विक विकास का महत्वपूर्ण नियामक माना है। निस्सन्देह, वित्तीय समावेशन अब एक वैश्विक एजेंडा बन गया है। समावेशी तथा समतामूलक विकास के लिए अनेक देशों की रणनीतियों के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में वित्तीय समावेशन कार्यरत है। वित्तीय समावेशन भारत में हमारे लिए अत्यावश्यक नीति है। वस्तुतः हमारी आर्थिक नीति में सदैव संवहनीय और समावेशी वृद्धि पर जोर दिया गया है।

समतामूलक विकास के बिना देश की प्रगति असंभव है। समतामूलक विकास में वित्तीय समावेशन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आर्थिक विकास के बिना कोई भी समाज वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता । बैंकों के माध्यम से चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाएं इसी दायित्व के निर्वाह की दिशा में उठाए जा रहे कदमों में शामिल हैं। देश के सभी नागरिकों को समान आर्थिक विकास एवं सामाजिक एकरूपता के लिए बिना किसी भेद-भाव और प्रतिबंध के बुनियादी बैंकिंग एवं भुगतान संबंधी सेवाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। यदि समाज का एक बड़ा वर्ग उपेक्षित रहता है और वित्तीय रूप से वंचित लोगों को उसके दायरे में नहीं लाया जाता है तो स्पष्टतः देश का आर्थिक विकास करके उच्च संवृद्धि दर तक नहीं पहुंचा जा सकता । सुदृढ़ वित्तीय समावेशन से ही समतामूलक विकास की नींव रखी जा सकती है। वित्तीय समावेशन भारतीय बैंकिंग के समक्ष एक बड़ी चुनौती है।

समतामूलक विकास क्या है? :

समतामूलक विकास से आशय है विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें समता का भाव हो, जो समता पर आधारित हो, जो भेदभाव रहित हो, जिसमें वर्ग-भेद न हो, जिसमें विषमता न हो एवं जिसमें शोषण न हो। देश के विकास में समतामूलक विकास एक विशिष्ट भूमिका निभाता है, क्योंकि समतामूलक विकास के जरिए स्वाभाविक सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक तथा बौद्धिक विकास हो सकता है। देश को प्रगति पर लाने के लिए समतामूलक आर्थिक विकास अत्यंत आवश्यक है।

वित्तीय समावेशन क्या है?: वित्तीय समावेशन से आशय है उपेक्षितों और अल्प आय समूह के लोगों को वहन-योग्य लागत पर बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना। ऋण की दृष्टि से इसका आशय है से परिवारों को ऋण के दायरे में लाना, जो ऋण लेना चाहते हैं, किंतु उससे वंचित हैं । साथ ही, वित्तीय समावेशन में अन्य वित्तीय सेवाएँ, जैसे- औपचारिक वित्तीय प्रणाली के माध्यम से बचत, बीमा, भुगतान और धन-प्रेषण की सुविधाएँ भी शामिल हैं। इसके अंतर्गत कम आय वाले और समाज के कमजोर वर्गों को बैंकिंग सेवाओं से संबद्ध करना, उन्हें कम लागत पर ये सेवाएं उपलब्ध कराना, सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और सभी वयस्क व्यक्तियों को बैंक में खाता खोलकर बैंक से जोड़ना शामिल है।

वित्तीय समावेशन क्यों? :

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में सिर्फ 59 प्रतिशत परिवारों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध है। शहरों में 68 प्रतिशत और गांव में 54 प्रतिशत परिवारों की पहुंच ही बैंकिंग सुविधा तक है। आबादी के एक बड़ा हिस्से के बैंकिंग सुविधाओं से अछूता होने के कारण, लोग गरीबी के कुचक्र को तोड़ नहीं पाते हैं और साहूकारों के चंगुल में फँस जाते हैं। गरीबों को वित्तीय रूप से अलग रखकर कोई देश स्थायी प्रगति नहीं कर सकता। गरीब लोग सिर्फ गरीब ही नहीं, मूल्य के प्रति जागरूक ग्राहक भी हैं, जिनका बाजार-अर्थव्यवस्था में व्यापक योगदान है। यदि इस योगदान को किफायती वितरण के जरिए व्यावसायिक रूप दिया जाए तो वित्तीय समावेशन लाभकारी व्यवसाय बन सकता है।

वित्तीय समावेशन का उद्देश्य :

वित्तीय समावेशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर उन्हें देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ना, शहरी एवं अर्धशहरी क्षेत्र के गरीबों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना, रोजगारपरक एवं गरीबी उन्मूलन योजनाओं को बैंक के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाना, गरीबों को महाजनों एवं साहूकारों के चंगुल से बचाना तथा बैंकिंग सुविधाओं से वंचित व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना है।

समतामूलक विकास में वित्तीय समावेशन का महत्व :

वित्तीय समावेशन के अनेक लाभ हैं, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं:
1) त्वरित आर्थिक संवृद्धि : वित्तीय संस्थाओं तक पहुँच कायम हो जाने के बाद ग्राहकों, विनियामकों और अर्थव्यवस्था, सभी को लाभ मिलता

है। बैंक में खाता खुल जाने से ग्राहक को कई प्रकार के लाभ मिलने लगते हैं, जैसे सुरक्षित और लाभप्रद तरीके से बचत करना, अल्प लागत पर धन का प्रेषण और उचित ब्याज पर ऋण की सुविधा। विनियामक को बैंकिंग माध्यम से होने वाले प्रत्येक लेनदेन की जानकारी मिलती है और वह पूरी व्यवस्था पर निगरानी रख सकता है। अर्थव्यवस्था में होने वाली समस्त आर्थिक गतिविधि के विषय में पारदर्शितापूर्ण जानकारी मिल जाती है, जिससे विभिन्न योजनाओं आदि के बारे में सुविचारित निर्णय किए जा सकते हैं। कुल मिलाकर ये सभी कारक समस्त अर्थव्यवस्था की त्वरित संवृद्धि में योगदान करते हैं एवं समतामूलक विकास में सहायक होते हैं।

2) गरीबी-उन्मूलनः गरीबी दूर करने में वित्तीय समावेशन बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। जब आय के समान वितरण और सामाजिक न्याय की बात होती है और जब गरीबी हटाने के सवाल पर चर्चा होती है, तब अनिवार्य रूप से वित्तीय समावेशन का प्रश्न सामने आ जाता है। बिना वित्तीय समावेशन के सरकार के सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को भी पूरा नहीं किया जा सकता ।

वित्तीय समावेशन की मुहिम :

भारतीय रिर्जव बैंक काफी समय से वित्तीय समावेशन की दिशा में प्रयासरत है। सन 1965 में भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना, 1969 और 1980- में वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1970 में अग्रणी बैंक योजना का क्रियान्वयन, 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, 1992 में स्वयं सहायता समूह- बैंक सहबद्धता कार्यक्रम की शुरुआत और 2001 में किसान कार्ड की शुरुआत कुछ ऐसे ही कदम हैं। शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम(सेपअप), शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम(सीईयूवाई) तथा शहरी सूक्ष्म उद्यमों हेतु योजना (सुमे) आदि कतिपय योजनाओं का उद्देश्य भी भारत के गरीब और बैंकिंग क्रियाकलाप से बाहर छूट गये तबके का वित्तीय समावेशन ही था। वित्तीय समावेशन पर रंगराजन समिति का गठन (जून 2006), वित्तीय शिक्षण की व्यवस्था (2012) एवं 2014-15 में भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) आदि मुहिम वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने वाले प्रयास हैं।

वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति :

रिजर्व बैंक, बैंकों को प्रोत्साहित करता रहा है कि वे बोर्ड द्वारा अनुमोदित वित्तीय समावेशन योजना (एफाआईपी) के माध्यम से उच्चतम स्तर पर वचनबध्दता के साथ संरचित एवं योजनाबद्ध तरीके से वित्तीय समावेशन को अपनाएँ। वित्तीय समावेशन की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है-

सारणी- 1 (वित्तीय समावेशन योजना)

विवरण	मार्च 2010 को समाप्त वर्ष	मार्च 2016 को समाप्त वर्ष	मार्च 2017 को समाप्त वर्ष	अप्रैल 2016 से मार्च 2017 तक प्रगति
गांवों में बैंकिंग केन्द्र- शाखाएं	33,378	51,830	50,860	(-)970
गांवों में बैंकिंग केन्द्र- शाखा रहित मोड	34,316	534,477	547,233	12,756
गांवों में बैंकिंग केन्द्र-कुल	67,694	586,307	598,093	11,786
बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी स्थान	447	102,552	102,865	313
शाखाओं के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (संख्या मिलियन में)	60	238	254	16
शाखाओं के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (राशि बिलियन में)	44	474	691	217
बीसी के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (संख्या मिलियन में)	13	231	280	49
बीसी के माध्यम से मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (राशि बिलियन में)	11	164	285	121
कुल बीएसबीडीए (संख्या मिलियन में)	73	469	533	64
कुल बीएसबीडीए (राशि बिलियन में)	55	638	977	339

संदर्भ- भारतीय रिर्ज़व बैंक, वार्षिक रिपोर्ट 2016-17,

1) गाँवों में शाखा रहित मोड को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान कुल 12,756 शाखा रहित मोड-बैंकिंग केंद्र खुले गए, जिससे इनकी कुल संख्या 5,47,233 हो गयी। यह वृद्धि 2.38% रही।

2) परंतु इस दौरान कुल 970 शाखाएं बंद कर दी गईं, जिससे गांवों में बैंकिंग केंद्र (शाखाओं) की कुल संख्या 50, 860 हो गयी है। यह ह्रास 1.87% रहा।

3) इसी प्रकार बीसी के माध्यम से कवर किए गए शहरी बैंकिंग केंद्रों की संख्या में 313 की वृद्धि हुई है और यह संख्या पिछले वर्ष से 0.3% अधिक है।

4) लगभग 64 मिलियन मूलभूत बचत बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले गए, जिससे कुल बीएसबीडीए की संख्या 533 मिलियन एवं कुल बीएसबीडीए राशि 977 मिलियन रुपये हो गई।

वित्तीय समावेशन की बाधाएं :

संभवतः वित्तीय समावेशन से वंचित व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सबसे महत्वपूर्ण बाधा है। पूरे संसार में, गरीब, छोटे और दूर-दराज स्थित लोग इससे वंचित हैं। यह सिर्फ वित्तीय प्रणाली के अल्प विकसित होने के कारण नहीं है, बल्कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा करना लाभप्रद नहीं होता है। वित्तीय समावेशन की प्रमुख तीन बाधाएं हैं जो संक्षेपाक्षर आईआईटी के माध्यम से व्यक्त की जा सकती हैं, इसका विस्तार हैः आई-इनफरमेशन(सूचना), आई-इंसेंटिव (प्रोत्साहन) एवं टी-ट्रांजेक्शन कॉस्ट (लेनदेन की लागत)। इन तीन प्रमुख बाधाओं के अलावा समावेशन की अन्य बाधाएं निम्नलिखित हैं-

ग्रामीण, पिछड़े एवं दूरस्थ स्थानों में बैंकिंग की बुनियादी सुविधाओं और ढांचागत संरचना का आज भी अभाव है।

शिक्षा के अभाव में ग्रामीण एवं गरीब लोग सरकार द्वारा शुरू की गई गरीबी उन्मूलन की योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।

एक तरफ गरीबों एवं ग्रामीणों का बैंकों के प्रति पूर्ण विश्वास विकसित न होने के कारण इनको बैंकिंग सेवाओं से वंचित रखा जाता है, दूसरी ओर पैसे के प्रति गरीबों व ग्रामीणों का अति लगाव होता है और वे पैसे को अपने से दूर नहीं रखना चाहते हैं, जिसके कारण वे बैंक में खाता भी नहीं खोलते हैं।

लेनदेन की प्रणाली, बैंकिंग सेवाओं और ऋणों की लागत का अत्यधिक जटिल एवं खर्चीला होना।

बैंकों में वांछित उत्पाद का उपलब्ध न होना।

बैंकों का कार्य- समय ग्रामीणों के लिए उपयुक्त न होना।

बैंकों का उद्देश्य लाभ पर केन्द्रित होना।

वित्तीय समावेशन की प्रमुख चुनौतियाँः वित्तीय समावेशन की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैंः

क) वित्तीय साक्षरता : वित्तीय समावेशन और वित्तीय साक्षरता एक ही समीकरण के दो पक्ष हैं। लोगों की मांग के अनुसार वित्तीय बाजार सेवाएं उपलब्ध करा कर वित्तीय समावेशन आपूर्ति पक्ष का काम करता है, वहीं वित्तीय साक्षरता लोगों को इस संबंध में सचेत बना कर मांग पक्ष का काम करती है कि वे किन चीजों की मांग कर सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि वित्तीय सेवाओं तक पहुंच और वित्तीय शिक्षण का काम साथ-साथ चले। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और समाज के सभी वर्गों को लक्ष्य बना कर चलनी चाहिए। वित्तीय जागरुकता उन लोगों में पैदा करनी है जो साक्षर और गरीब हैं। इसके लिए एक उपयुक्त व्यवसाय मॉडल विकसित करना और दक्ष सुपुर्दगी तंत्र स्थापित करना बैंकों के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसलिए समतामूलक विकास के लिए साक्षरता के साथ-साथ वित्तीय साक्षरता पर विशेष बल देना आवश्यक है।

ख) टेक्नोलॉजी संबंधी अवरोधः वित्तीय समावेशन की राह में एक अन्य बाधा भौतिक और डिजिटल कनेक्टिविटी की है। आइसीटी-आधारित मॉडल की सफलता के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों का समाधान बहुत जरूरी है। इस अभियान को देश के लगभग 50,000 गांवों तक पहुंचाना है जो केवल टेक्नोलाजीकल कनेक्शन के जरिए ही संभव है। इनमें भी उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं जम्मू कश्मीर जैसे दुर्गम क्षेत्र और 82 एलडब्ल्यूई जिले अधिक चुनौतीपूर्ण हैं। बी सी अर्थात् व्यवसाय प्रतिनिधियों की निरंतरता बनी रहना एक अन्य चुनौती भरा मुद्दा है।

ग) सब्सिडी योजनाओं के नगद अंतरणों में होने वाली बढ़ोतरी से निपटना।

घ) मजबूत निगरानी प्रणालीः फिलहाल बैंकिंग की पहुँच निम्नतम वर्ग तक ले जाने की दृष्टि से निगरानी-व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुस्पष्ट बनाने की आवश्यकता है। इसलिए एक मजबूत निगरानी प्रणाली का होना काफी महत्वपूर्ण चुनौती रहेगी।

ङ) वित्तीय समावेशन के लिए कृषि क्षेत्र एवं ग्रामीण विकास की समस्याओं का समाधान एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि इनको दूर किए